कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश

मोती बंगला कम्पाउण्ड, एम.जी. रोड, इंदौर–452007 दूरभाष क्रमांक 0731–2547031
ई–मेल commissioner.ho@mptax.mp.gov.in

विभागीय विज्ञप्ति

क्रमांक–वाक/18/2010/4–ए/तीन/स्था./513 इन्दौर, दिनांक 19–09–2023

वाणिज्यिक कर निरीक्षक/कराधान सहायक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु

सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा–2023

वाणिज्यिक कर विभाग में मध्यप्रदेश अधीनस्थ कराधान सेवा (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) भर्ती नियम, 2007 एवं इन नियमों में **समय–समय पर किये गये संशोधनों** यथा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 2008, दिनांक 29 जनवरी 2010, दिनांक 17 अक्टूबर 2011, 13 जनवरी, 2015, 26 अगस्त, 2019 एवं 20 जुलाई, 2023 में वर्णित अर्हताएं रखने वाले कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिक वर्गीय सेवा में पदस्थ/कार्यरत कर्मचारियों से वाणिज्यिक कर निरीक्षक/कराधान सहायक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन आंमत्रित किये जाते हैं।

महत्वपूर्ण निर्देश

आवेदन पत्र भरने संबंधी आवश्यक निर्देश –

1. आवेदन पत्र दिनांक 05/10/2023 (समय प्रातः 11:30 बजे) से दिनांक 20/10/2023 (समय रात्रि 11:59) तक www.mponline.gov.in पर भरे जा सकते हैं।
2. आवेदन केवल ऑनलाईन स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डॉक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

आयु की गणना

1. आयु की गणना 01 जनवरी, 2023 के संदर्भ में की जायेगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्म तिथि मान्य होगी, जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंकसूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में उक्त अंकसूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।
3. शासन के पत्र क्रमांक 1855/584/2022/1/पांच भोपाल, दिनांक 26.07.2023 अनुसार आयु सीमा में छूट केवल वर्ष 2023 में अयोजित होने वाली परीक्षा में ही मिलेगी।

शुल्क संबंधी निर्देश

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करेगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन –पत्र की जाँच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जायेंगे। शुल्क विवरण इस प्रकार है :–

परीक्षा शुल्क	अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	1020/–
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) एवं दिव्यांगजन	510/–
ऑनलाईन आवेदन–पत्र में त्रुटि सुधार हेतु एम.पी.ऑनलाईन को शुल्क रुपए 50/– + जीएसटी देय होगा।		

निरंतर.....2

2. विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाईन आवेदन पत्र में विभाग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली–भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं है।
3. आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है अथवा **ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नम्बर पर** संपर्क कर सकते हैं :–

हेल्पलाईन नं. 0755–6720200

त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :–

1. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्णक जाँच कर लें। ऑनलाईन आवेदन–पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 06/10/2023 से 21/10/2023 (रात्रि 11:59 बजे) तक ऑनलाईन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार 50/– रुपये + जीएसटी शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।

शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव –

1. **वाणिज्यिक कर निरीक्षक हेतु –**

 i. **किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि**
 ii. **आयुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में विगत पाँच (05) वर्षों तक लिपिकवर्गीय सेवा में लगातार कार्य कर रहा हो।**

2. **कराधान सहायक हेतु –**

 i. **किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक की उपाधि**
 ii. **आयुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में विगत पाँच (05) वर्षों तक लिपिकवर्गीय सेवा में लगातार कार्य कर रहा हो।**

नोट :– आवेदक के पास अर्हतायें आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए।

चयन का आधार –

ऑनलाईन परीक्षा	ऑनलाईन परीक्षा, एम.पी. ऑनलाईन, भोपाल द्वारा आयोजित की जायेगी। परीक्षा एक ही दिवस में दो पालियों में होगी। कुल दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 150–150 अंकों का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। ऑनलाईन परीक्षा में सफल होने के लिए प्रत्येक प्रश्न–पत्र में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को प्रत्येक प्रश्न–पत्र में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
गोपनीय चरित्रावली	ऑनलाईन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी विगत 05 वर्षों की चरित्रावली का मूल्यांकन नियुक्ति अधिकारी द्वारा गठित की जाने वाली विभागीय चयन समिति द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 20, जुलाई, 2023 में दिये गये निर्देशानुसार किया जाएगा।

निरंतर.....3

परीक्षा नियम/निर्देश आदि :–

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु एवं आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो विभाग को चयन परिणाम सुधारने का पूर्ण अधिकार होगा।

वाणिज्यिक कर विभाग के लिपिक वर्गीय सेवा में पदस्थ/कार्यरत कर्मचारियों से वाणिज्यिक कर निरीक्षक/कराधान सहायक के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्र.	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या					कुल रिक्तियों में से महिलाओं हेतु आरक्षित पदों की संख्या					दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या			कुल पद
		UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	LD	VH	HH	
01	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	27	15	19	25	09	09	05	06	08	03	02	02	02	95
02	कराधान सहायक	33	19	24	33	12	11	06	08	11	04	03	02	02	121

टीप – अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संदर्भ में प्रचलित याचिका के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07–46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 द्वारा चयन परिणाम मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाना है। मुख्य भाग 87 प्रतिशत तथा प्रावधिक भाग 13 प्रतिशत का पद विभाजन निम्नानुसार रहेगा :–

वाणिज्यिक कर निरीक्षक		रिक्त पदों की संख्या					कुल पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद					कुल
		UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	
अ.	रिक्त पदों की संख्या	27	15	19	25	09	09	05	06	08	03	95
ब.	मुख्य भाग 87% (14% ओबीसी पदों) के आधार पर रिक्त पदों का विवरण।	27	15	19	13	09	05	05	06	04	03	83
स.	प्रावधिक भाग 13% (ओबीसी पदों) के आधार पर रिक्त पदों का विवरण।	12 काल्पनिक	–	–	12	–	0 4 काल्पनिक	–	–	04	–	12

कराधान सहायक		रिक्त पदों की संख्या					कुल पदों में से महिलाओ के लिए आरक्षित पद					कुल
		UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	
अ	रिक्त पदों की संख्या	33	19	24	33	12	11	06	08	11	04	121
ब	मुख्य भाग 87% (14% ओबीसी पदों) के आधार पर रिक्त पदों का विवरण।	33	19	24	17	12	06	06	08	06	04	105
स	प्रावधिक भाग 13% (ओबीसी पदों) के आधार पर रिक्त पदो का विवरण	16 काल्पनिक	–	–	16	–	05 काल्पनिक	–	–	05	–	16

Abbreviations: UR-Unreserved, SC-Scheduled Caste, ST-Scheduled Tribe, OBC- Other Backward Classes, EWS-Economically Weaker Sections, LD-Locomotor Disability, VH-Visual Handicapped, HH-Hearing Handicapped.

आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय निम्न निर्देशों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये–

1. उक्त उल्लेखित पदों हेतु अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता/पात्रता/आयु सीमा का बंधन व भर्ती का तरीका वही रहेगा जो वाणिज्यिक कर विभाग में मध्यप्रदेश अधीनस्थ कराधान सेवा (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) भर्ती नियम, 2007 एवं इन नियमों में **समय–समय पर किये गये संशोधनों** यथा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 2008, दिनांक 29 जनवरी 2010, दिनांक 17 अक्टूबर 2011, 13 जनवरी, 2015, 26 अगस्त, 2019 एवं 20 जुलाई, 2023 में वर्णित है।
2. नियमानुसार अपेक्षित अर्हताओं व आयु सीमा आदि की पात्रता न रखने वाले कर्मचारी सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने हेतु पात्र नहीं होंगे। पात्रता न रखने वाले आवेदकों के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे एवं निरस्त होने की स्थिति में उन्हें पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
3. जो कर्मचारी "मध्यप्रेदश अधीनस्थ कराधान सेवा (तृतीय श्रेणी कार्यपालिका) भर्ती नियम, 2007" के नियम 6(1) (ग) तथा नियम 12–क में उल्लेखित प्रावधानों के तहत एवं नियमों की अनुसूची–पाँच में उल्लेखित एवं समय–समय पर संशोधित स्कीम के प्रावधानान्तर्गत अपेक्षित समस्त अर्हताओं की पूर्ति रखते हैं तथा वाणिज्यिक कर निरीक्षक व कराधान सहायक दोनों पदों के लिए विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, ऐसे कर्मचारी अपने आवेदन में आवेदित पदों की प्राथमिकता का उल्लेख करते हुए अपना विकल्प (Option) आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें।
4. उक्त पदों हेतु इच्छुक/पात्र कर्मचारी आवश्यक अर्हतायें, आयु सीमा, नियम/निर्देश/शर्तें, परीक्षा योजना, पात्रता, अनर्हता, पाठ्यक्रम एवं पदों के आरक्षण संबंधी विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mponline.gov.in, www.mptax.mp.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

विशेष आयुक्त,
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश